मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
// आ दे श //

भोपाल, दिनांक 28/03/2018

क्रमांक एफ-5(ए)/12/2016/ई/चार, राज्य शासन, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य लोक सेवा परीक्षा, 2014 की संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश वित्त सेवा (कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान) में नियुक्ति के लिये लोक सेवा आयोग व्दारा **अनुशंसित अनुपूरक सूची** से निर्म्नलिखित उम्मीद्वारों के कार्यभार, ग्रहण करने के दिनांक से **दो वर्ष की परिवीक्षा** पर निम्नांकित शर्तो पर मध्यप्रदेश वित्त सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान रुपये 15600-39100 ग्रेड-पे 5400 (छठवां वेतनमान) तथा उस पर समय-समय पर देय भत्तों के आधार पर नियुक्त किया जाकर कार्यालय संचालनालय,कोष एवं लेखा भोपाल में पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित अनुपूरक सूची का क्रमांक	उम्मीद्वार का नाम	भर्ती की श्रेणी (सीट)	वर्तमान डाक का पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01.	12	श्री अविनाश नागले	अनु.जाति.	श्री अविनाश नागले, आत्मज श्री हरिराम नागले,वार्ड क्रमांक-12 पो.दमुआ तहसील जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) पिन कोड 480555

2/- यदि किसी अभ्यार्थी का चयन अस्थाई जाति प्रमाण पत्र के आधार पर हुआ है तो उसे अधिकतम 6 माह के अन्दर स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है तथा किसी अभ्यार्थी का जाति प्रमाण पत्र वैद्य नहीं पाया जाता है उक्त दोनो स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।

3/- उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि में ऐसा प्रशिक्षण/पाठयक्रम ग्रहण करना होगा तथा ऐसी विभागीय परीक्षा अपेक्षित स्तर से उत्तीर्ण करना होगी, जो शासन द्वारा निर्धारित की जाये।

4/- दो वर्ष की उक्त परिवीक्षा की अवधि में आपका कार्य एवं आचरण सन्तोषजनक न पाये जाने या विहित विभागीय परीक्षा अपेक्षित स्तर से उत्तीर्ण न करने या अन्य कारणों से, राज्य शासन, आपकी परिवीक्षावधि में 01 वर्ष आगे और वृद्धि कर सकेगा या आपकी सेवायें समाप्त कर सकेगा।

5/- चयन सूची में सभी उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी हो जाने के पश्चात लोक सेवा आयोग की चयन सूची के आधार पर ही वरिष्ठता निर्धारित रहेंगी।

6/- उपरोक्तानुसार नियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम,1961 एवं मध्यप्रदेश वित्त सेवा (भरती तथा सेवा की शर्ते) नियम,1965 (समय-समय पर संशोधित) एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम,1965 के अंतर्गत शासित होगें।

7/- राज्य शासन द्वारा राज्य शासन के आधीन दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अशंदान पेंशन प्रणाली लागू की गई। सेवा संबंधी अन्य मुददे नियमित शासकीय सेवकों को लागू सामान्य वर्तमान नियमों अथवा जो भविष्य में बनाये जाये और उन्हें लागू किया जाये,के अध्यधीन रहेंगे।

8/- उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक बॉण्ड शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उन पर खर्च की गई राशि जिसमें वेतन,भत्ते,यात्रा भत्ते एवं अन्य व्यय शामिल होगें,की वापसी के लिये उत्तरदायी रहेगा। बाण्ड का प्रारुप संलग्न है। इसकी पूर्ति कर इसे संचालनालय, कोष एवं लेखा को प्रस्तुत करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(विजय कठाने) 28/3
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
भोपाल दिनांक 28/03/2018

पृ.क्रमांक एफ-5(ए)/12/2016/ई/चार,

प्रतिलिपि :-

1. माननीय वित्त मंत्रीजी के निज सचिव,
2. अपर मुख्य सचिव,मध्यप्रदेश शासन,वित्त के निज सचिव,
3. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,वित्त के निज सहायक
4. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,इंदौर की ओर पत्र क्रमांक 5422/83/2016/चयन, दिनांक 3.7.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. आयुक्त कोष एवं लेखा की ओर अग्रेषित कर अनुरोध है कि लोक सेवा आयोग से अनुशंसित अनुपूरक सूची अनुसार **अभ्यार्थियों से चरित्र सत्यापन के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ सी-3/15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर, 2012** अनुसार शपथ-पत्र प्राप्त किये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जाये। इसके साथ ही :-
   - **अ-** चयनित उम्मीदवारों से कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व बाण्ड की पूर्ति कराकर रिकार्ड में रखे।
   - **ब-** नियुक्ति आदेश की प्रति भेजकर निवेदन है कि एक प्रति संबंधित अधिकारी की सेवा-पुस्तिका में संलग्न की जाये।
   - **स-** कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारियों के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करावे।
   - **द-** चयनित उम्मीदवार को प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित कर प्रशिक्षण कराना सुनिश्चित करें।
   - **ई-** आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र में जाति संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त कर इसकी पुष्टि संबंधित जिले के कलेक्टर से कराकर अभिलेख में सुरक्षित रखे।
6. महालेखाकार,मध्यप्रदेश,ग्वालियर/भोपाल,
7. प्रशासनिक अधिकारी,आर.सी.व्ही.पी.नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी,शाहपुरा भोपाल।
8. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,कोष एवं लेखा/संभागीय पेंशन अधिकारी।
9. समस्त जिला कोषालय अधिकारी/जिला पेंशन अधिकारी।
10. श्री/श्रीमती/कु. **श्री अविनाश नागले**,की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति आदेश में विहित शर्तो से सहमत होने की दशा में **अपनी उपस्थिति दिनांक 10.04.2018 तक** आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल पर्यावास भवन पंचम तल,अरेरा हिल्स में देते हुए कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
11. गार्ड फाईल।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार

अपर सचिव 28/3
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग